

No.15/3/2018-Trans-Pt(2)
Government of India
Ministry of Power
(Transmission Division)
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001

Dated, 31st March, 2023

To

1. CEO, PFCCL,
New Delhi.
2. CEO, RECPDCL,
New Delhi.


Sub: Gazette Notification regarding change in scope of TBCB projects, based on the recommendations of 10th meeting of NCT.

Sir,

I am directed to forward a copy of the Gazette Notification dated 28.03.2023 indicating the change in scope of two earlier approved TBCB schemes, based on the recommendations of 10th meeting of National Committee on Transmission (NCT), for your information and further necessary action.

Encl: as above.

Yours faithfully,


31/3/23,
(Bihari Lal)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy to: Chairperson, CEA, New Delhi.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244796
CG-DL-E-31032023-244796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433]
No. 1433]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1486(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) की धारा 63 के अंतर्गत परिचालित दिशा-निर्देशों के पैरा 3 के उप-पैरा 3.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पारेषण स्कीमों अधिसूचित की थीं :

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राजपत्र अधिसूचना जिसके द्वारा स्कीम अधिसूचित की गई थी
1	अनंतपुरम (अनंतपुर) (2500 मेगावाट) और कुरनूल (1000 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम	सां.आ. 386(अ) दिनांक 27.1.2020 [फा. सं. 15/3/2018-ट्रांस-पार्ट (1)]
2	बीदर (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण स्कीम	सां.आ. 386(अ) दिनांक 27.1.2020 [फा. सं. 15/3/2018-ट्रांस-पार्ट (1)]

2. अब, केंद्र सरकार ने पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) की 10वीं बैठक की सिफारिशों की जांच के पश्चात, उपर्युक्त दो स्कीमों के कार्य-क्षेत्र को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अतः, उपर्युक्त स्कीमों के कार्यक्षेत्र को नीचे उल्लिखित अनुसार संशोधित किया गया है:

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का संशोधित कार्यक्षेत्र	
1	अनंतपुरम (अनंतपुर)	कार्य-क्षेत्र	क्षमता/लाइन की लंबाई किमी
		क्रम सं.	पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र